उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की सहभागिता

डॉ० विपिन कुमार
समाजशास्त्र विभाग
कॉलिज ऑफ एजुकेशन
विलासपुर (गौतमबुद्धनगर)
ईमेल: vipinchauhan0097@gmail.com

डॉ० सत्येन्द्र सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
जनता वैदिक कॉलिज, बड़ौत (बागपत)
ईमेल: satyendra.jvc@gmail.com

सारांश

भारत में उत्तर प्रदेश की पहचान एक प्रगतिशील एवं अग्रसर राज्य के रूप में हैं। इसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की स्थिति कैसी है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण की जागरूकता एवं उसकी क्षमता की पहचान राजनीतिक सक्रियता के माध्यम से होनी चाहिए। जब तक विभिन्न क्षेत्रों में जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, प्रशासकीय, मनोरंजन, साहित्य आदि के निर्णय प्रक्रियाओं का निर्माण, प्रतिपूर्ति एवं नियंत्रण के परिणाम से ही महिलाओं की राजनीति के साथ अन्य उत्तर 51 क्षेत्रों में सबलीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश की विधायिका, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों में महिला प्रतिनिधित्व का प्रमाण एवं महिलाओं के राजनीतिक सबलीकरण का प्रमाण किस प्रकार रहा है? इसका विश्लेषण प्रस्तुत शोध निबंध से देने का प्रयास किया है।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 30.08.2022
Approved: 17.09.2022

डॉ० विपिन कुमार,
डॉ० सत्येन्द्र सिंह

उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की सहभागिता

RJPP Apr.22-Sept.22, Vol. XX, No. II,

pp.318-322
Article No. 41

Online available at :
https://anubooks.com/rjpp-2022-vol-xx-no-2

विश्व की ओर देखा जाए तो एक बात ध्यान में आती है कि सभी समाज में ज्यादात्तर पुरुष प्रधान संस्कृति का बोलाबाला रह चुका है। मनुस्मृति जैसे महान ग्रंथ में 'यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमंते देवता' तो दूसरी ओर स्त्री स्वातंत्र्य महर्ती ऐसी विसंगत वकालत कर के स्त्री स्वातंत्र्य का असमर्थन किया गया। स्त्रियों के बारे में समाज में ऐसी धारणा है कि स्त्री विवेकहीन, शारीरिक दुर्बल एवं कमजोर होने के साथ–साथ सार्वजनिक जीवन में भी उसका अस्तित्व नगण्य है। स्त्री का अस्तित्व चुल एवं मूल इतना ही स्वीकृत है। ऐसी सार्वत्रिक धारणा होने से अधिकार, स्वातंत्र्य, सामाजिक, प्रतिष्ठा एवं निर्माण से दूर रहने वाली एक प्रजनन यंत्र मात्र है। इसके अस्तित्व निर्माण के लिए 20वें दशक के पूर्वार्ध में जनजागृति बढ़ने लगी।

समाज में महिलाओं के साथ–साथ समाज सेवी, साहित्यिक, राजनैतिक, सेवाभावी संस्था आदि के माध्यम से स्त्री स्वातंत्र्य, स्त्री मुक्ति का अहसास बढ़ने लगा। पाश्चात्य देशों के साथ साथ भारत एवं महाराष्ट्र में महिलाओं की जनजागृति को अधिकाधिक बढ़ावा मिलने से स्त्री मुक्ति आंदोलन अधिक प्रखर होने लगा। इसी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए पाश्चात्य स्त्रीवादी लेखिका सिमॉन दी बुआ लिखित 'दि सेकन्ड सेक्स' ग्रन्थ के माध्यम से महिलाओं पर होने वाले अन्याय, अत्याचार, दुःख वेदना समाज के सामने रखने का प्रयास किया गया। सिमॉन दि बुआ के ग्रंथ से विश्व के सभी स्त्री मुक्त आन्दोलन एवं आन्दोलनों को अधिक प्रेरणा मिलने लगी। इसके अलावा वुस्टनक्राफ्ट लिखित 'व्हिडिकेशन ऑल दि राईट्स ऑफ दि वुमन', यूनक, केट मिलेट लिखित 'सेक्सुअल पॉलिटिक्स' आदि स्त्रीवादी लेखिकाओं ने साहित्य के माध्यम से स्त्री मुक्ति चेतना का प्रसार एवं प्रचार पूरे विश्व में किया। इसके परिणाम स्वरूप इस आंदोलन को अधिक प्रेरणा मिलने लगी।

भारतीय स्वाधीनता के पश्चात् भारत में राजनीतिक विकास तीव्र गति से हुआ। शिक्षा के धीरे–धीरे बढ़ते प्रसार से महिलाओं में जागरूकता बढ़ी तथा उसका स्वाभिमान जाग्रत हुआ। महिलाओं में भी राजनीति को लेकर चेतना जाग्रत हुयी ओर उन्होंने भी अपनी रूचि बढ़ायी। वर्तमान में महिलाओं को भी पुरूषों के समान राजनीतिक सुविधायें प्राप्त हुई। भारतीय संविधान में महिलाओं को अनेक सुविधायें व अधिकार दिये गये हैं। भारतीय राजनीति में महिलाओं को सक्रिय रूप से भाग लेने का पूर्ण अधिकार है।

महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से विकास के समान अवसर प्रदान करने के लिए संविधान में कुछ विशेष व्यवस्थाऐं की गयी। भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया है। जबकि अनेक पश्चिमी देशों में महिलाओं ने मतदान अधिकार के लिए कड़ा संघर्ष किया है। लेकिन वहीं भारत में महिलाओं को मात्र वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है तथा मतदान को राजनीतिक सहभागिता का महत्वपूर्ण सूचक नाम लिया जाता है। यह ध्यान देने योग्य बात हैं कि मतदान करने में बहुत कम पहले तथा आन्तरिक अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती हैं। यह तथ्य महिलाओं के साथ बहुत सीमा तक लागू होता है क्योंकि अधिकतर महिलाओं के लिए मतदान मनोरंजक तथा उत्तेजनापूर्ण होता है। लेसटर, डब्ल्यू, मिलब्रेथ (1965) के राजनीतिक सहभागिता के प्रारूप का प्रयोग करें तो यह कहा जा सकता है महिलायें दर्शक क्रियाओं के प्रति अधिक रूचि प्रदर्शित करती है परिवर्तनीय क्रियाओं में कम, तथा उत्थान–सम्बन्धी क्रियाओं में अत्यन्त न्यून।

महिलाओं के बारे में यह कहा जाता है कि वह मतदान अपने परिवार, मित्र आदि से प्रभावित होकर देती हैं। भारत में किये गये सर्वेक्षणों से यह उपकल्पना सिद्ध हुयी है। इसके अतिरिक्त धर्म, जाति, वर्ग भी मतदान को प्रभावित करते हैं। यह कहना कि महिलायें राजनीतिक विषयों से सम्बन्धित जानकारी तथा राजनीतिक जागरूकता में पुरुषों से पीछे हैं और वे राजनीतिक चर्चा में अपेक्षतया भाग नहीं होती हैं। कहना गलत होगा, क्योंकि महिलायें स्वयं से जुड़े मुद्दो जैसे–पानी, आवास, ईंधन मूल्यों में वृद्धि, परिवार, आर्थिक कमी आदि पर चर्चा, अन्य राजनीतिक मुद्दों की अपेक्षतया अधिक चर्चा करती हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में सहभागिता की कमी पायी जाती है, लेकिन यह प्रवृत्ति विश्वव्यापी है जो कई अधिक विकसित ओर विकासशील देशों में भी देखी जा सकती हैं।

पाश्चात्य देशों में भी महिलाओं की स्थिति कुछ अच्छी नहीं रही। ब्रिटेन एवं अमेरिका जैसे प्रगतिशील देशों में भी महिलाओं को मताधिकार प्राप्त करने के लिए लगभग सौ साल से भी ज्यादा समय झगड़ना पड़ा। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों में पिछले 236 सालों से एक भी महिला को राष्ट्राध्यक्ष पद के लिए चुना नहीं गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की राजनीतिक स्थिति किस हालत में है। अमेरिका के अलावा जर्मनी, रशिया, फ्रान्स, चीन, आदि देशों में भी महिलाओं का राजनीति में सहभाग अत्यन्त रह चुका है। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फ्रान्स, ऑस्टेलिया, फिलिपिन्स, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीड़न, स्पेन, रवांडा आदि देशों में महिलाओं का राजनीति एवं कार्यपालिका में सहभाग बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से महिलाओं को आरक्षण किया गया है। ऐसा प्रयास भारत में बार–बार असफल हो रहा है। भारत में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की माँग है।

भारत में भी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सतीप्रथा, बालविवाह, विधवा विवाह, स्त्री स्वातंत्र्य, स्त्री शिक्षा आदि विषयों को मद्देनजर रखते हुए राजाराम मोहन रॉय, स्वामी दयानन्द स्वामी विवेकानन्द महात्मा गांधी तथा महाराष्ट्र में महात्मा फुले सावित्रीबाई, दादोबा पांडुरंग, विष्णुशास्त्री पंडित, भंडारकर, म०गो० रानडे, आगरकर, पंडिता रमाबाई, महर्षि कर्वे, वि०रा०शिंदे, ताराबाई शिंदे आदि समाज सुधारकों ने आवाज उठायी। ताराबाई शिंदे जैसी विद्रोही लेखिका ने स्त्री पुरुष तुलना नामक ग्रंथ लिखकर महिलाओं पर होने वाले अन्याय, अत्याचारों का जाहीरनामा प्रसिद्ध कर दिया। इन्हीं समाज सुधारकों ने महिलाओं को समाज में न्याय दिलाने के लिए स्त्री मुक्ति आन्दोलन का संगठन जुड़ने लगा और महिलाओं ने एक साथ लड़ने के लिए वैचारिक और संगठनात्मक कार्यक्रम हाथ में लेकर अपना प्रयास चालू रखा।

सरला देवी जैसे महिलाएँ सामने आकर समाज में भारत स्त्री मंडल, मेहरीबाई टाटा ने अखिल भारतीय महिला संघठन एवं NCWI का संगठन, श्रीमती देरोथी जिनराजदास WI। (वूमन इंडियन असोसिएट), पंडिता रमाबाई ने 1982 में पुणे में शारदा सदन महिला संगठन निर्माण कर महिलाओं ने सभी क्षेत्रों में स्त्री मुक्ति आन्दोलन के विस्तार को बढ़ावा देकर महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में महिलाओं की आवाज को बुलंद कर दिया। गांधी जी के नेतृत्व में चले राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता रह चुकी है। नमक सत्याग्रह में ब्रिटिश सरकार ने 30 हजार भारतीय नागरिकों को बंदी बनाया। इसमें करीब करीब 17 हजार महिलाओं को समावेश था। इसे यह ज्ञान होता है की महिलाओं का योगदान कितना महत्वपूर्ण रह चुका है।

साधारण बात ऐसी है कि महिला मुक्ति आंदोलन का प्रयास बीसवीं सदी के बाद सुधारना व बाद में परिवर्तन की ओर रह चुका है। महिलाओं पर होने वाले अन्याय एवं अत्याचार का निर्मूलन होकर स्त्री पुरुष समानता लाने के लिए महिला सबलीकरण के लिए अधिकारों का लोकतांत्रिक न्याय वितरण, स्त्रियों की संपूर्ण सुरक्षितता एवं संरक्षण, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, स्त्री स्वातंत्र्य, स्त्री शिक्षण और स्त्री मुक्ति प्रबोधन के लिए महिला संगठनों ने उदारवाद, समानतावाद एवं साम्यवाद जैसी विचारधाराओं का सहारा लेकर भारत में महिलाओं ने एवं समाज सुधारकों ने स्वातन्त्र्योत्तर काल में भी महिला मुक्ति आंदोलन को अधिक उग्र व सतर्क करने का प्रयास किया।

भारत में राजनीतिक पक्षों के माध्यम से महिलाओं ने राजनीति में सक्रिय होकर महिला आंदोलन का नेतृत्व किया जैस पंडिता रमाबाई जैसी महिलाओं पाँच महिलाओं को लेकर संविधान सभा में प्रवेश कर यह दिखा गया कि महिला भी कुछ कम नहीं अनुसया काले, तारकेश्वरी सिन्हा, कमलादेवी चटोपाध्याय, लक्ष्मीमेनन आदि महिलाओं ने स्वाधीनतापूर्व अनुभव साथ में लेकर भारतीय स्वाधीनता के बाद भी महिला मुक्ति आंदोलन का प्रयास चालू रखा।

जनसंख्या में पुरुषों के साथ बराबर रहने वाली महिलाओं की स्थिति राजनीतिक निर्णय निर्माण प्रक्रिया में अत्यल्प रह चुकी है। इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू सुचेता कष्पलानी, ताराबाई साठे, मृणाल गोरे, प्रतिला दंडवते, विद्यमान राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, मायावती, जयललिता, वसुंधरा राजे सिंधिया, ममता बेनर्जी, शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज आदि महिलाएँ भारतीय राजनीति में सक्रिय है। यह सक्रियता अत्यल्प है। भारतीय संविधान ने 26 जनवरी 1950 में में सभी को प्रौढ़ मताधिकार प्रदान कर पुरूषों के साथ–साथ महिलाओं को राजनीति में समान अवसर दिए गए तब भी पंचायत राज व्यवस्थाओं में 33 प्रतिशत मिलने तक महिलाओं की राजनीति में सक्रियता की प्रक्रिया कमजोर रह चुकी है।

संदर्भ

1. विभा, देवसरे. (2003). ''एक महात्मा, जिन्होंने महिलाओं को समझा''. *अमर उजाला.* अक्टूबर. पृष्ठ **14.**
2. कुमार, विनोद. (1993). ''भारतीय राजनीति में महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता एवं राजनीतिक सहभागिता''. *योजना.* पृष्ठ **36–40.**
3. कैड़ा, पुष्पा. (2004). ''वर्तमान में नारी अधिकारों के आरक्षण का स्वरूप''. प्रतियोगिता दर्पण. मार्च. पृष्ठ **82–83.**
4. सेमवाल, एम०एम०. (2007). ''महिलायें एवं राजनीति उत्तराखण्ड का एक परिदृश्य''. *स०वि० शोध पत्रिका.* पृष्ठ **4–61.**
5. (2006). ''उत्तरांचल : एक अध्ययन''. प्रतियोगिता साहित्य सीरिज. पृष्ठ **57.**
6. अस्थाना, बिपिन. (2000). ''प्रारंभिक सांख्यिकीय विधियाँ''. विनोद पुस्तक मंदिरः आगरा, उ०प्र०. पृष्ठ **175–177.**
7. (1981–1995). महाराष्ट्रातील स्त्रीयांचा दर्जा महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अहवाल. पृष्ठ 36.
8. भोले, डॉ० भा०ल०. (2002). ''भारतीय शासन आणि राजकारण''. विद्या प्रकाशनः नागपुर. पृष्ठ **54.**

9. एरंडे, डॉ० व्ही०एल०. (2007). ''भारतीय लोकशाही अपेक्षा आणि वास्तव''. निर्मल प्रकाशनः नांदेड. पृष्ठ 126.
10. Manjiri, Chandra. (2003). Gender Issue IPSA 52th Conference. Meerut.
11. (2010). Statistics on Women in India. National Institute of Public Co-operation and Child Development: Delhi.
12. Statistics Report on General Election Legislative Assembly of Maharashtra Election Commission in India.